आजादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः–एफ 6(15)संस्था/देव/2021/ 9319 दिनांकः– 24/12/2021

– आदेश :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 से चयनित निम्न लिखित सफल अभ्यर्थियों को कार्मिक (क–4/2) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प0 9(1)कार्मिक/क–4/2/2021 दिनांक 24.12.2021 द्वारा इस विभाग को देवस्थान निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु आवंटित किया गया है।

राजस्थान देवस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2000 के नियम–30 के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से 02 वर्ष के लिये देवस्थान निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पद पर वेतनमान पी0बी0–2 (12) पै–बैण्ड 9300–34800 ग्रेड–पे 3600/– में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के पद पर रूपये 23700/– (अक्षरे तैबीस हजार सात सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) पर नियुक्त किया जाता है।

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	वि0वि0
1	2	3	4	5	6	7
1.	533	824106	श्री आशुतोष गुप्ता	GE	23.10.1983	
2.	581	812629	श्री भोजराज अग्रवाल	GE	20.07.1983	
3.	582	826298	नेहा राव	BC,WE	24.09.1986	Ag,GE, WE
4.	585	808313	श्री सलीम	BC	10.05.1993	Ag,GE
5.	586	825132	श्री शिवराज सिंह राठौड	GE	26.06.1993	
6.	1661	820834	श्री रणजीत कुमार	SC	05.01.1980	
7.	1697	805143	सुनिता मेहरा	SC,WE	20.07.1989	

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन की जा रही हैः–

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प0 1(2)वित्त/नियम/2006 जयपुर दिनांक 13.03.2006, अधिसूचना क्रमांक एफ 14(1)वित्त/नियम/2013/पार्ट जयपुर दिनांक 08.06.2015 तथा प0 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV Rules No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/– (अक्षरे तैबीस हजार सात सौ रूपये मात्र) अथवा दिनांक 20.01.2006 से पूर्व राज्य सेवा में नियमित नियुक्त कार्मिको के मामले में नियमानुसार पूर्व पद के वेतनमान या उक्त नियत पारिश्रमिक मे से जो भी लाभ देय हो का भुगतान किया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. देवस्थान निरीक्षक द्वितीय श्रेणी, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के पद पर नियुक्ति कार्यग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।
3. उक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 9.30 तक अपने आवश्यक मूल दस्तावेजो सहित कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, 2, मीरा मार्ग, पंचवटी, उदयपुर में पेश करेंगे।

2, मीरा मार्ग, पंचवटी, उदयपुर (राज0)
दूरभाष नम्बर : 0294–2524813
ई–मेल आई.डी. hq.dev@rajasthan.gov.in

4. सेवा मे नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों मे से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दौगुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दौगुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तो के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।

5. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

6. नियुक्ति से पूर्व अपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

7. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के चरित्र प्रमाण पत्र एवं चाल चलन के सत्यापन बाबत राज्य सरकार की सन्तुष्टि होने की शर्त पर की जा रही है, जो चरित्र सत्यापन मे पुलिस रिपार्ट प्रतिकूल होने की स्थिति में निरस्त की जा सकेगी।

8. परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर उक्त कार्मिको को नियमानुसार देवस्थान निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पद की वेतन श्रृंखला पी0बी0 2 रनिंग पे–बेण्ड 9300–34800 ग्रेड–पे 3600 में वेतन निर्धारण कर नियमानुसार वेतन भुगतान किया जावेगा।

9. उक्त नियुक्तियां एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4131/2020 ज्योती शर्मा बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 8380/2015 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 13582/2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 13976/2021 कुलवन्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं राजस्थान राज्य एवं अन्य सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2018 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरणों के अंतिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

10. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजो की जांच के अध्यधीन रहेगी।

11. उक्त नियुक्ति अन्य अधीनस्थ सेवाओं मे रिक्तयों से उत्पन्न स्थिति के अनुरूप परिवर्तनीय होगी।

12. इन अभ्यर्थियो की नियुक्ति सेवा नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशो में अभिकथित नियमो एवं शर्तो के अध्यधीन होगी।

13. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अध्याय–II (अनुभाग–I) मे आने वाले मामलो को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

14. प्रत्येक अभ्यर्थी को विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा, परिवीक्षाकाल मे प्रथम 03 अवसरो मे ही उतीर्ण करनी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने नियमानुसार

2, मीरा मार्ग, पंचवटी, उदयपुर (राज0)
दूरभाष नम्बर : 0294–2524813
ई–मेल आई.डी. hq.dev@rajasthan.gov.in

आजादी का अमृत महोत्सव

विभागीय परीक्षा उतीर्ण नही की अथवा उसका कार्य परिवीक्षाकाल मे सन्तोषजनक नही पाया गया अथवा ऐसा प्रतीत हुआ की वह अभ्यर्थी निरीक्षक कार्य–दक्षता प्राप्त नही कर सकता है, तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

15. जो अभ्यर्थी वर्तमान मे विवाहित है, उन्हें राज्य सेवा मे कार्यग्रहण करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate) प्रस्तुत करना होगा इसके साथ ही जीवित संतान/संतानो की सूचना तथा एक से अधिक जीवित पति/पत्नी नही होने का स्वघोषणा पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नही की जावेगी।
16. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2015 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
17. इन अभ्यर्थियो की जन्म तारीख वही है, जो परीक्षा के आवेदन पत्रो मे अंकित की है, और जिन्हे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है तथा इस बाबत मूल दस्तावेजो के सत्यापन के अधीन रहेगी।
18. उक्त अभ्यार्थी मे से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 07 दिवस पश्चात तक भी नियत स्थान/कार्यालय में रिपोर्ट नही करते है और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना विभाग को भिजवाते है, तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
19. अभ्यर्थी को कार्यालय मे उपस्थिति देते समय अपने स्वास्थय संबंधी मेडिकल ज्यूरिस्ट का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र (अंडर टेकिंग) प्रस्तुत करना होगा की उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। (घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न)
20. यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा उसके विरूद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही की जायेगी।
21. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर संलग्न प्रपत्रों में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजो मय फोटोयुक्त पहचान पत्र के कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, मीरा मार्ग, उदयपुर में 27.12.2021 को प्रातः 9.30 बजे पर उपस्थित होवें।

शासन के पत्र दिनांक 24.12.2021 मे किये गये उल्लेख अनुसार इन अभ्यार्थी का यह सेवा/विभाग आवंटन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ0पी0 जैन) 24/12/21
आर ए एस.
आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
राजस्थान,उदयपुर

क्रमांकः–एफ 6(15)संस्था/देव/2021/9320–9338 दिनांकः– 24/12/21

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान– जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, राजस्थान–जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प0 9(1)कार्मिक/क–4/2/2021 जयपुर दिनांक 24.12.2021 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित है।
3. संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान–जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निदेशक, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, रानी रोड, उदयपुर।

2, मीरा मार्ग, पंचवटी, उदयपुर (राज0)
दूरभाष नम्बर : 0294–2524813
ई–मेल आई.डी. hq.dev@rajasthan.gov.in

7. श्री सुनील मत्तड़, उपायुक्त, देवस्थान विभाग (नोडल अधिकारी) को भेजकर निर्देश है कि संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, जयपुर की अ0शा0 टीप क्रमांक प0 12(05)देव/2019 दिनांक 24.12.2021 के क्रम में उक्त नियुक्त निरीक्षक ग्रेड–II की उक्त वर्णित शर्तो/नियमों के अनुरूप उपस्थिति ग्रहण करने के समय जांच करें एवं नियमानुसार पूर्ति के उपरान्त उपस्थिति ग्रहण करावें।
8. उपनिदेशक (ए.सी.पी.), देवस्थान विभाग, जयपुर को आदेश की प्रति आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
9. श्री आशुतोष गुप्ता, म0 नं0 688ए, बीएसएनएल स्टाफ क्वाटर, सेक्टर 44 ए चण्डीगढ़ जिला चण्डीगढ़–160047 मो.न. 9465790121
10. श्री भोजराज अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल पता–। 20, सरस्वती अपार्टमेन्ट कुम्भा नगर, सेक्टर 18 प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर राजस्थान–302033 मो0नं0 9828697277
11. नेहा राव, 1 सत्यम गिरीराजपुरा, राजसमन्द राजस्थान –313301
12. श्री सलीम, ग्राम–मन्दरपुरा तहसील–नोहर, जिला–हनुमानगढ–335523 मो0नं0 9950021543
13. श्री शिवराज सिंह राठौड पुत्र श्री मंगल सिंह राठौड, 1, मीरा नगर, बडी नोखा, मंशापूर्ण हनुमान मंदिर के पीछे, हिरण मगरी से0 4, उदयपुर–313002, मो0 नं0 9462474043
14. श्री रणजीत कुमार, ग्राम अनाह पोस्ट सेवर, तहसील भरतपुर, जिला भरतपुर – 321001
15. सुनिता मेहरा, ग्राम पोस्ट–गोगासर, तहसील–रतनगढ, जिला–चुरू, राजस्थान–331504
16. निजी पत्रावली.....।
17. प्रभारी, पी0ए0 शाखा, देवस्थान विभाग, प्रधान कार्यालय।
18. लेखा शाखा/केशियर प्रधान कार्यालय।
19. रक्षित पत्रावली।

24/12/21

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
राजस्थान,उदयपुर

24.12.2021

2, मीरा मार्ग, पंचवटी, उदयपुर (राज0)
दूरभाष नम्बर : 0294–2524813
ई–मेल आई.डी. hq.dev@rajasthan.gov.in